

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2017/01462

दिनांक 20.12.2017

सेवा में,

श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,

विषय:- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 05.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं 1, 2, 3 एवं 4 से संबंधित सूचना जो कि संयुक्त सचिव (प्रशासन) से सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5 (4) के तहत प्राप्त हुई है, आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110067 पर की जा सकती है ।

संलग्नक - यथोपरि ।

अ. के. शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, बी विंग, अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066

संचिका सं. CICOM/R/2017/01462/सं.स.(प्र0)

दिनांक. 19.12.2017

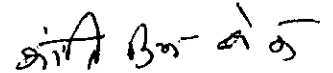
सेवा में,

श्री ए. के. शर्मा,
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग,
नई दिल्ली ।

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) के तहत श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता के आर.टी.आई.
आवेदन सं. CICOM/R/2017/01462 से संबंधित सूचना ।

आपके पत्र सं. CICOM/R/2017/01462 दिनांक 12.12.2017 के संदर्भ में बिंदु सं. 1, 2, 3 एवं 4 से
संबंधित सूचना निम्नानुसार है :-

बिंदु सं. 1 से 3	राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त दोनों पत्र P1/E/1509170096 दिनांक 15.09.2017 एवं P1/A/1809170454 दिनांक 18.09.2017 की प्रति तथा उक्त दोनों पत्रों को दिनांक 30.11.2017 को मुख्य सूचना आयुक्त को भेजे जाने से संबंधित टिप्पणी संलग्न है ।
बिंदु सं. 4	उक्त शिकायतों पर कार्यवाही करने से संबंधित कोई आदेश उपलब्ध नहीं है । विशेष जानकारी के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 जो आयोग की वेबसाइट के लिंक http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf पर उपलब्ध है की धारा 14 का अवलोकन करें ।


(एस.पी.बेक)

संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं
नोडल अधिकारी, आर.टी.आई.